न्यायालयः– जिला एवं सेशन न्यायाधीश, जिला ब्यावर।

पीठासीन अधिकारी – हारून, आर.जे.एस.(जिला न्यायाधीश संवर्ग)

सेशन प्रकरण संख्याः 01/2025
सी.आई.एस. संख्याः 43/2025
CNR No. RJBE010011142025

राजस्थान राज्य जरिये अपर लोक अभियोजक

....अभियोजन

बनाम

1. विनोद माली पुत्र नानूराम, उम्र 22 वर्ष, निवासी लोडियाना, पुलिस थाना बिजयनगर, जिला ब्यावर।

2. नानूराम माली पुत्र रतनलाल, उम्र 45 वर्ष, निवासी लोडियाना, पुलिस थाना बिजयनगर, जिला ब्यावर।

3. श्रीमती मंजू देवी पत्नी नानूराम, उम्र 40 वर्ष, निवासी लोडियाना, पुलिस थाना बिजयनगर, जिला ब्यावर।

....अभियुक्तगण

अपराध अंतर्गत धारा 80(2), 85 सपठित धारा 3(5) भारतीय न्याय संहिता, 2023

उपस्थितः–

1. श्री ईश्वर चंद सौलकी, विद्वान अपर लोक अभियोजक वास्ते राज्य।
2. श्री तरूण कुमावत, विद्वान अधिवक्ता वास्ते परिवादी।
3. श्री सी.डी. सांखला, श्री केतन सांखला व श्री सुधीर प्रताप पंवार विद्वान अधिवक्तागण वास्ते अभियुक्तगण।

:: निर्णय :: दिनांकः 07.04.2026

1. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि दिनांक 03.10.2024 को परिवादी दिनेश कुमार ने उपस्थित थाना होकर एक लिखित रिपोर्ट इस आशय की पेश की कि उसके पिताजी ने उसकी बहन लीला देवी की शादी करीब 03 वर्ष पूर्व अपनी हैसियत से अधिक पूंजी लगाकर विनोद माली पुत्र नानूराम माली ग्राम लोडियाना थाना बिजयनगर के साथ की थी। उसकी बहन को पिछले दो वर्षों से उसके सास

ससुर व पति द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा था और रोज बोलते थे कि "तेरे बच्चे नहीं हो रहे हैं, तू हमारे घर में अशुभ है" तथा डायन का आरोप लगाकर मारपीट करते थे व बोलते थे कि "तुम्हारे पिता ने हमें शादी में कुछ भी नहीं दिया, जिसको लेकर प्रताड़ित करते थे व मारने की धमकी देते थे।" उक्त कृत्य के बारे में उसकी बहन ने कई बार उन्हें कॉल करके बताया कि "मेरी जान को इन लोगों से खतरा है, यह मेरे को कभी भी मार सकते हैं।" दिनांक 02.10.2024 को उसकी बहन को गला गोठकर मार डाला इसकी सूचना करीब 03:00 बजे उनके पड़ोसियों द्वारा दी गयी। इन लोगो द्वारा उसकी बहन के मरने की सूचना ना तो उन्हें दी गई और ना ही थाना में सूचित किया गया, इत्यादि। उक्त रिपोर्ट पर पुलिस थाना बिजयनगर द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 310/2024 अपराध अंतर्गत धारा 80(2), 85 सपठित धारा 3(5) भारतीय न्याय संहिता, 2023 संस्थित कर अनुसंधान आरंभ किया गया।

2. बाद अनुसंधान अभियुक्तगण के विरुद्ध धारा धारा 80(2), 85 सपठित धारा 3(5) भारतीय न्याय संहिता, 2023 के तहत दण्डनीय अपराध में सक्षम अधीनस्थ न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट, बिजयनगर में आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया, जो उपार्पित होकर प्राप्त होने पर इस न्यायालय में संस्थित किया गया।

3. बहस चार्ज सुनी गई। अभियुक्तगण के विरुद्ध धारा 80(2), 85 सपठित धारा 3(5) भारतीय न्याय संहिता, 2023 के तहत दण्डनीय अपराध का आरोप प्रथम दृष्टया बनना पाए जाने पर अभियुक्तगण को उक्तानुसार अपराध के आरोप पृथक से विरचित कर सुनाकर समझाए गए, तो अभियुक्तगण ने आरोप अस्वीकार कर अन्वीक्षा चाही।

4. अभियोजन पक्ष द्वारा विचारण के दौरान प्रदर्श पी. 01 फर्द निरीक्षण एवं पुनः जब्ती एक पुराना इस्तेमाली मोबाइल, प्रदर्श पी. 02 लगायत प्रदर्श पी. 04 फर्द गिरफ्तारी अभियुक्तगण, प्रदर्श पी. 05 तहरीरी रिपोर्ट, प्रदर्श पी. 06 फर्द पंचायतनामा लाश, प्रदर्श पी. 07 फर्द सुपुर्दगी लाश, प्रदर्श पी. 08 फर्द पेशकशी एवं जब्ती मृतका लीला का एक इस्तेमाली मोबाइल, प्रदर्श पी. 09 फर्द जब्ती चुन्नी बरंग लाल, प्रदर्श पी. 10 फर्द जब्ती एक किताब का फटा हुआ कागज, प्रदर्श पी. 11 फर्द पेशकशी एवं जब्ती मृतक लीला द्वारा हस्तलिखित एक कॉपी, प्रदर्श पी. 12 फर्द नक्शा

मौका घटनास्थल, प्रदर्श पी. 13 नोटिस अंतर्गत धारा 94 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023, प्रदर्श पी. 14 कार्यालय पुलिस उप–अधीक्षक वृत मसूदा का पत्र दिनांक 13.11.2014, प्रदर्श पी. 15 नोटिस अंतर्गत धारा 94 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023, प्रदर्श पी. 16 फोटोग्राफ्स (01 से 07), प्रदर्श पी. 17 प्रमाण पत्र 63(3) भारतीय साक्ष्य अधिनियम, प्रदर्श पी. 18 नोटिस अंतर्गत धारा 94 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023, प्रदर्श पी. 19 घटनास्थल के निरीक्षण की रिपोर्ट पुलिस अधीक्षक ब्यावर को प्रेषित करने का पत्र, प्रदर्श पी. 20 घटनास्थल निरीक्षण रिपोर्ट व धारा 63 भारतीय साक्ष्य अधिनियम का शपथ पत्र, प्रदर्श पी. 21 लगायत प्रदर्श पी. 26 फोटोग्राफ्स, प्रदर्श पी. 27 FSL रसीद, प्रदर्श पी. 28 पुलिस अधीक्षक ब्यावर के नाम जारी पत्र दिनांक 04.05.2025, प्रदर्श पी. 27 कार्यालय पुलिस अधीक्षक ब्यावर से विधि विज्ञान प्रयोगशाला जयपुर के नाम जारी पत्र दिनांक 05.05.2025, प्रदर्श पी. 30 प्राप्ति रसीद, प्रदर्श पी. 31 चाकशुदा प्रथम सूचना रिपोर्ट, प्रदर्श पी. 32 पोस्टमार्टम रिपोर्ट, प्रदर्श पी. 33 मेडिकल ज्यूरिष्ट को दी गई तहरीर, प्रदर्श पी. 34 प्रधानाध्यापक, राजकीय प्राथमिक विद्यालय खारड़ी को दी गई तहरीर, प्रदर्श पी. 35 सचिव, राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल को दी गई तहरीर, प्रदर्श पी. 36 शाखा प्रबन्धक, राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, कालीयास, भीलवाड़ा को दी गई तहरीर, प्रदर्श पी. 37 राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल से प्राप्त जवाब, प्रदर्श पी. 38 प्रधानाध्यापक, राजकीय प्राथमिक विद्यालय खारड़ी द्वारा दिया गया जवाब, प्रदर्श पी. 39 फर्द नमूना सील, प्रदर्श पी. 40 पुलिस अधीक्षक को प्रेषित पत्र, प्रदर्श पी. 41 स्टेट फॉरेन्सिक साईंस लेबोरेट्री द्वारा प्राप्त जवाब, प्रदर्श पी. 42 अभियुक्तगण का सजायाबी रिकॉर्ड वास्ते दी गई तहरीर, प्रदर्श पी 43 जब्ती की कार्यवाही से संबंधित न्यायिक मजिस्ट्रेट को दी गई धारा 105 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की सूचना, प्रदर्श पी 44 FSL द्वारा लौटाये गये असल जब्त पत्र व नोटबुक, प्रदर्श पी. 45 व 46 पुलिस बयान श्रीमती कंकू देवी, प्रदर्श पी. 47 मृतक लीला की सोनोग्राफी रिपोर्ट, प्रदर्श पी. 48 मृतक लीला की MRI रिपोर्ट, प्रदर्श पी. 49 लगायत प्रदर्श पी. 53 लीला के इलाज संबंधी वात्सल्य हॉस्पीटल भीलवाड़ा की परामर्श पर्चियां, प्रदर्श पी. 54 लीला की MRI एक्स–रे प्लेट को प्रदर्शित करवाया।

5. अभियोजन पक्ष ने मौखिक साक्ष्य में गवाहान पी.डब्ल्यू. 01 विष्णु, पी.डब्ल्यू. 02 दिनेश कुमार, पी.डब्ल्यू. 03 लालाराम, पी.डब्ल्यू. 04 नारायण, पी.डब्ल्यू. 05 सांवरलाल, पी.डब्ल्यू. 06 डॉक्टर कैलाशचंद्र, पी.डब्ल्यू. 07 खेमाराम, पी.डब्ल्यू. 08 हनुमानलाल, पी.डब्ल्यू. 09 रामकरण, पी.डब्ल्यू. 10 करण सिंह, पी.डब्ल्यू. 11 डॉक्टर महेन्द्र कुमार, पी.डब्ल्यू. 12 डॉक्टर महिला राठौड़, पी.डब्ल्यू. 13 प्रेमाराम, पी.डब्ल्यू. 14 सज्जन सिंह, पी.डब्ल्यू. 15 मुकेश कुमार, पी.डब्ल्यू. 16 श्रीमती कंकू देवी, पी.डब्ल्यू. 17 जगदीश, पी.डब्ल्यू. 18 सम्पत को परीक्षित कराकर अभियोजन साक्ष्य समाप्त की।

6. अभियोजन साक्ष्य की समाप्ति पर अभियुक्तगण ने धारा 313 दण्ड प्रक्रिया संहिता/धारा 351 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 के परीक्षण के दौरान अभियोजन साक्ष्य को गलत बताया व कहा कि वे निर्दोष हैं, उन्हें झूठा फंसाया गया है तथा बचाव साक्ष्य पेश करना चाहा।

7. बचाव पक्ष की ओर से मौखिक साक्ष्य में डी.डब्ल्यू. 01 सांवरलाल पुरोहित को परीक्षित करवाया तथा दस्तावेजी साक्ष्य में प्रदर्श डी. 01 पुलिस बयान दिनेश कुमार, प्रदर्श डी. 02 पुलिस बयान लालराम, प्रदर्श डी. 03 पुलिस बयान मुकेश कुमार, प्रदर्श डी. 04 राजीनामा, प्रदर्श डी. 05 पुलिस बयान सम्पत लाल, प्रदर्श डी. 06 इकरारनामा दिनांकित 02.10.2024, प्रदर्श डी. 07 डी.के. सैनी को 35,000/– रुपये भेजने का स्क्रीनशॉट को प्रदर्शित करवाया।

8. बहस उभयपक्ष सुनी गई।

9. विद्वान अपर लोक अभियोजक का तर्क है कि राज्य सरकार द्वारा केस को साबित करने के लिए सारभूत साक्ष्य पेश की गई है। अभियोजन की ओर से प्रस्तुत गवाहों द्वारा केस का समर्थन किया गया है। अभियुक्तगण के विरुद्ध दहेज हत्या का मामला है। मृतका की मृत्यु शादी के 07 साल के अंदर अप्राकृतिक कारणों से हुई है। पत्रावली पर उपलब्ध समस्त मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य से अभियोजन अभियुक्तगण के विरुद्ध अपराध धारा 80(2), 85(2) सपठित धारा 3(5) भारतीय न्याय संहिता संदेह से परे साबित करने में सफल रहा है। गवाहान् द्वारा स्पष्ट रूप से कथन किया है कि मृत्यु पूर्व अभियुक्तगण ने परिवादी और मृतका से दहेज की मांग की थी, जिससे तंग आकर मृतका ने आत्महत्या कर ली। मृत्यु का

कारण अप्राकृतिक है, इसलिए धारा 85(2) सपठित धारा 3(5) भारतीय न्याय संहिता के तहत सजा योग्य है। अतः अपराध की रोकथाम के लिए यह आवश्यक है कि जिस व्यक्ति द्वारा अपराध किया गया है, उसको सख्त से सख्त सजा दी जाए।

10. इसके विपरीत विद्वान डिफेंस काउंसिल ने अभियोजन के तर्कों का खण्डन किया है। विद्वान डिफेंस काउंसिल का तर्क है कि अभियोजन केस को साबित करने में पूर्ण रूप से असफल रहा है। अभियुक्तगण को इस केस में गलत रूप से फंसाया गया है। अभियुक्तगण के विरुद्ध धारा 85 सपठित धारा 3(5) भारतीय न्याय संहिता एवं धारा 82 सपठित धारा 3(5) भारतीय न्याय संहिता के चार्ज विरचित कर सुनाए गए थे। अभियुक्तगण के विरुद्ध जो आरोप अभियोजन द्वारा लगाए गए हैं, उनमें मृतका के साथ क्रूरता, शारीरिक एवं मानसिक रूप से प्रताड़ित करने का आरोप है तथा मृत्यु से पूर्व दहेज की मांग एवं अप्राकृतिक रूप से मृत्यु कारित होने का आरोप है, जो धारा 80(2) भारतीय न्याय संहिता के तहत दण्डनीय है, लेकिन किसी भी अपराध को साबित करने की कोई विश्वसनीय साक्ष्य अभियोजन पत्रावली पर पेश करने में सक्षम नहीं हो पाया है। अभियुक्तगण से कोई बरामदगी नहीं हुई है। अभियुक्त विनोद कुमार की शादी मृतका से आटे–साटे में हुई थी। अभियुक्त की बहन की शादी मृतका के भाई से हुई थी। परिवादी की बहन की शादी अभियुक्त विनोद कुमार से हुई थी। शादी में कोई दहेज नहीं दिया गया था, ना ही कोई दहेज की मांग की गई थी।

11. विद्वान अधिवक्ता ने आगे तर्क दिया है कि इस प्रकरण के गवाह संख्या 11 डॉक्टर महेन्द्र कुमार द्वारा मेडिकल बोर्ड में पोस्टमार्टम रिपोर्ट तैयार की गई, उसने यह भी कथन किया है कि जो मृत्यु का कारण था, वह फंदे पर लटकना था और दौराने पोस्टमार्टम मृतका के शरीर पर कोई जाहिरा चोट नहीं थी और मृतका के शरीर पर गला घोंटने एवं अंगुलियों के निशान भी नहीं थे। मृतका की मृत्यु फंदे से लटकने से ऑक्सीजन रुकने के कारण हुई थी। पोस्टमार्टम के अन्य गवाह पी.डब्ल्यू. 12 डॉक्टर महिपाल राठौड़ ने भी मृत्यु का कारण यही बताया है, इसलिए इसमें कोई संदेह नहीं रह जाता कि मृतका ने स्वयं फंदा लगा आत्महत्या की और मृत्यु पूर्व एक suicide note छोड़ा गया था।

12. विद्वान अधिवक्ता ने आगे तर्क दिया कि इस प्रकरण के जो अनुसंधान अधिकारी सज्जन सिंह हैं, वह भी बतौर गवाह पी.डब्ल्यू. 14 न्यायालय के समक्ष पेश हुए हैं, जिसने भी जिरह में यह कथन किया है कि उसकी तफ्तीश में यह बात सामने आई है कि परिवादी की पत्नी व मृतका दोनों का आटे–साटे में विवाह हुआ। यह कहना गलत है कि मृतका गर्भाश्य की बीमारी से ग्रसित हो। यह कहना सही बताया कि घटना के तुरंत पहले मृतका लीला देवी ने किन–किन व्यक्तियों से बात की थी, इस संबंध में मृतका के मोबाइल की कॉल डिटेल उसके द्वारा नहीं ली गई थी। यह कहना सही बताया कि प्रदर्श पी. 12 में वर्णित आस–पड़ोस के निवासी प्यार मोहम्मद, सहजाद खन, रामदेव माली, बाबू मोहम्मद ने मृतका लीला देवी को प्रताड़ित करने की शिकायत नहीं की थी। यह कहना सही बताया कि गवाह लालाराम ने अपने बयानों में लीला के बीमार होने एवं उसने किसी देवता का प्रकोप होने का सुनना बताया था। यह कहना सही बताया कि उक्त विवाह कोरोना लॉकडाउन के समय हुआ था। यह कहना सही बताया कि प्रदर्श पी. 11 कॉपी परिवादी दिनेश द्वारा अपनी बहन मृतक लीला देवी की हस्तलिखित कॉपी होने का मौखिक रूप से विश्वास दिलवाया था, जिसे उसके द्वारा FSL भिजवाया गया था। यह सही बताया गया कि FSL ने बैंक के दस्तावेजात् वर्ष 2022–2024 के मध्य की अवधि के नहीं होने के कारण कोई राय व्यक्त करने में असमर्थता व्यक्त की थी। गवाह ने स्वयं कहा कि परिवादी द्वारा स्त्रीधन एवं दहेज के सामान के बिल की प्रति पेश की, जिसे शामिल पत्रावली किया गया।

13. विद्वान अधिवक्ता ने आगे तर्क दिया है कि गवाह पी.डब्ल्यू. 03, जो मृतका का सगा चाचा है, भी न्यायालय में उपस्थित हुआ है, जिसने अपनी जिरह में कथन किया है कि लीला की शादी उसके परिवारजन व उसके ससुराल वालों तथा उसके पति की रजामंदी से ही हुई थी। लीला के पेट व बच्चेदानी के इलाज के बारे में उसके भाई दिनेश व उसके पिता ने नहीं बताई थी, स्वयं कहा कि लीला के पेट में जलन की बात उसने थोड़ी बहुत सुनी थी। गवाह ने यह सही होना बताया कि लीला के माता–पिता लीला पर देवता का दोष होने की बात कहते थे। यह कहना भी सही बताया कि लीला कागज पर कुछ लिखकर फांसी लगाकर मरी थी। विद्वान

अधिवक्ता का आगे तर्क है कि गवाह पी.डब्ल्यू. 05 सांवरलाल, जो न्यायालय में उपस्थित हुआ है, उसने अपनी जिरह में कथन किया है कि शादी में दोनों परिवारों की सहमति व रजामंदी से सारे कार्यक्रम हुए थे, किसी के ऊपर किसी का दबाव नहीं था और ना ही प्रताड़ना थी। गवाह ने यह कहना सही बताया कि लीला की शादी के 03 साल बाद तक उसके बच्चे नहीं हुए थे। यह सही है कि अपनी जीवन लीला समाप्त करने से पहले कुछ लिखकर गई थी।

14. विद्वान अधिवक्ता ने आगे तर्क दिया है कि मृतका ने स्वयं फांसी लगाई थी, जिसकी पुष्टि पी.डब्ल्यू. 06 के बयानों से होती है, जो कि फोरेंसिक यूनिट का प्रभारी था। मृतका ने छत के कड़े से फांसी लगाई थी, इसका पता लगने पर ससुराल पक्ष खिड़की तोड़कर और दरवाजा तोड़कर अंदर घुसे और उसको बचाने की कोशिश की। गवाह अपने जिरह में यह स्वीकार करता है कि घटनास्थल की खिड़की चौखट समेट टूटी हुई थी। यह कहना सही है कि खिड़की तोड़कर मृतका को संभाला गया था और कमरे का दरवाजा अंदर से खोला गया था।

15. विद्वान अधिवक्ता ने आगे तर्क दिया है कि इस प्रकरण का मुख्य स्वतंत्र गवाह मुकेश कुमार, जो इस न्यायालय में बतौर पी.डब्ल्यू. 15 परीक्षित हुआ है, ने कथन किया है कि दिनांक 02.10.2024 को वह केकडी सरवाड़ गया हुआ था। उस दिन दो–ढ़ाई बजे वह वापस गांव आया था। तब वहां नैनूराम के घर काफी लोग एकत्र हो गये थे। वहा पर मौजूद लोगों ने उसे बताया कि विनोद की पत्नी फांसी खाकर मर गई। तब उसने विनोद से मोबाइल नम्बर लेकर खारड़ा–खारड़ी गांव में दिनेश की पत्नी पूजा को फोन लगाया और कहा कि गांव लोड़ियाना आ जाओं। इतना सुनते ही पूजा रोने लग गई और फोन उसने उसके पति दिनेश को दे दिया। तब उसने दिनेश को कहा कि उसकी बहन लीला ने फांसी खाकर आत्महत्या कर ली है। दौराने प्रतिपरीक्षण इस गवाह ने कथन किया है कि वह ससुराल पक्ष के व्यक्ति अभियुक्त नैनूराम, विनोद व मंजू को बचपन से जानता है, उसने मृतका लीला का अभियुक्तगण विनोद, नैनूराम व मंजू से कभी कोई झगड़ा होते हुए नहीं देखा, ना ही लीला ने कभी अभियुक्तगण द्वारा दहेज की मांग को लेकर परेशान करने की बात उसे नहीं बताई थी। लीला के माता–पिता व गांव के सरपंच या किसी अन्य व्यक्ति

ने उसे यह नहीं बताया था कि अभियुक्तगण उसे दहेज की मांग को लेकर तंग व परेशान करते हों। लीला पढ़ी–लिखी थी, वह किस कक्षा तक पढ़ी–लिखी थी, इसकी उसे जानकारी नहीं है। लीला को शादी के बाद बच्चा नहीं हुआ था। पूजा के शादी के बाद बच्चा हो गया था। लीला व पूजा की शादी आटे–साटे में एक–दो दिन के अंतराल से हुई थी। लीला बीमार जरूर रहती थी, लेकिन उसे कौन–सी बीमारी थी, इसकी उसे जानकारी नहीं है। लीला को ईलाज हेतु उसका पति विनोद भीलवाड़ा व बिजयनगर ले जाया करता था। लीला ने फांसी लगाने से पूर्व कागज लिखा था। यह सही है कि आटे–साटे में दहेज का लेन–देन नहीं होता है। गवाह ने यह कहना सही बताया कि उसने विनोद व उसके माता–पिता के कहने पर तुरंत पूजा व दिनेश को फोन लगाकर घटना की सूचना दी थी।

16. विद्वान अधिवक्ता ने आगे तर्क दिया है कि मृतका की मां कंकू देवी पी.डब्ल्यू. 16 ने अभियोजन पक्ष का समर्थन नहीं किया है तथा पक्षद्रोही घोषित हुई है। यह गवाह स्पष्ट रूप से कथन करती है कि लीला कैसे मरी, उसे नहीं पता। अभियोजन के प्रतिपरीक्षण में वह यह कथन करती है कि उसके पुलिस बयान मसूदा थाने में हुए थे। पुलिस बयान प्रदर्श पी. 45 का ए से बी व सी से डी भाग व प्रदर्श पी. 46 का ई से एफ व जी से एच भाग गवाह द्वारा पुलिस को दिया जाना बताया तथा दौराने प्रतिपरीक्षण यह कथन करती है कि पूजा उसकी पुत्रवधु है। पूजा व लीला की शादी आटा–साटा में एक ही दिन हुई थी। गवाह ने यह कहना गलत बताया कि लीला की मृत्यु के बाद उसके बेटे दिनेश ने उसकी पत्नी पूजा व उसके पौत्र मनोज को पीहर छोड़ दिया हो, स्वयं कहा कि पूजा अपनी मर्जी से पीहर गई है। लीला को ईलाज हेतु वह व उसके पति सम्पतजी लेकर गए थे। लीला को भीलवाड़ा में डॉक्टर के यहां दिखवाया था। लीला की सोनोग्राफी, सी.टी. स्कैन व अन्य जांचें करवाई थीं। लीला को उसके ससुराल वालों द्वारा शादी के बाद तीन वर्ष में तंग परेशान किया गया हो, इस संबंध में उसने पुलिस थाने में कोई रिपोर्ट नहीं लिखवाई थी। गवाह ने लीला को तंग व परेशान करने के संबंध में पुलिस में कोई रिपोर्ट नहीं दी थी, स्वयं कहा कि आटे–साटे में शादी हो रखी थी, इसलिए रिपोर्ट नहीं दी थी। यह सही बताया कि लीला व पूजा की शादी एक ही दिन हुई थी। यह सही बताया कि लीला

व पूजा की आपस में बातचीत होती थी। उसे याद नहीं है कि लीला को ईलाज के लिए भीलवाड़ा लेकर गए, तब पूजा भी साथ गई हो। गवाह पी.डब्ल्यू. 17 जगदीश ने जिरह में कथन किया है कि वह शादी में शामिल नहीं हुआ था। शादी में क्या-क्या सामान दिया, उसे नहीं पता। पूजा व लीला से शादी के बाद उसकी कभी बातचीत नहीं हुई। लीला के बच्चे क्यों नहीं हुए, उसे नहीं पता। लीला को कोई बीमारी थी या नहीं, उसे नहीं पता। गवाह पी.डब्ल्यू. 18 सम्पत ने दौराने जिरह इस बात को सही बताया है कि उसकी पुत्री लीला की शादी व मुल्जिम विनोद की बहन पूजा की शादी आटे-साटे में हुई थी। उक्त शादी एक ही दिन हुई थी। शादी कोरोना के समय हुई थी, लीला की शादी के समय 05-10 आदमी आए थे। लीला ने दसवीं की परीक्षा 2024 में दी थी, फिर कहा कि लीला ने दसवीं की परीक्षा वर्ष 2023 में दी थी। लीला की दसवीं की मार्कशीट उसने देखी थी, बाद में मार्कशीट लीला अपने ससुराल आगे बारहवीं की पढ़ाई करने के लिए ले गई थी। गवाह ने यह सही बताया कि लीला को उसके ससुराल वालों ने पढ़ाई के लिए मना नहीं किया था, क्योंकि एक साल तक बारहवीं की परीक्षा लीला ने नहीं दी थी। दो लाख रुपये लेने के लिए लीला की मृत्यु से पूर्व समाज में पंचायती नहीं की थी, अजखुद कहा कि लीला की मृत्यु के पश्चात् अभियुक्त विनोद से पैसे लेने के लिए पंचायती की थी। यह सही है कि प्रदर्श डी. 04 इकरारनामा की लिखापढ़ी के समय दिनेश ने पैंतीस हजार अपने बैंक खाते से डलवाए तथा पचास हजार रुपये नकद विनोद से प्राप्त किए थे। गवाह ने इस बात को सही बताया कि दूसरी पुत्रियों के ससुरजी शिवराज व गोपाल से कभी भी लीला को उसके ससुराल वालों द्वारा तंग व परेशान करने की शिकायत नहीं की थी। उसने पुलिस बयान में पुलिस को दो लाख रुपये दिनेश के द्वारा विनोद को देने की बात बता दी थी। उसके द्वारा पुलिस बयान प्रदर्श डी. 05 में क्यों दर्ज नहीं, उसे पता नहीं। गवाह को इस बात की जानकारी नहीं है कि मुकेश कुमार जैन के खेत पर लीला के सास-सास काम करते हैं या नहीं?, स्वयं कहा कि मुकेश कुमार से सिंजारा लेते होंगे। सिंजारा का मतलब खेत को बंटायत में लेते हैं। गवाह ने यह कहना सही बताया कि मुकेश कुमार जैन का फोन पूजा के फोन पर आया था। इसके बाद पूजा ने अपने पति दिनेश को घटना की जानकारी दी थी। यह सही है कि गुलाबपुरा कोर्ट में पूजा के द्वारा तलाकनामे का प्रार्थना पत्र पेश करने पर

वे अपने बयान बदलेंगे, यह प्रदर्श डी. 04 में दर्ज है। यह कहना गलत है कि उसने व उसके पुत्र दिनेश ने पूजा को प्रताड़ित करके घर से निकाला हो। यह कहना गलत है कि पूजा आज भी उसके पुत्र दिनेश के साथ रहने के लिए तैयार हो।

17. विद्वान अधिवक्ता का आगे तर्क है कि मृतका की जो ट्रीटमेंट रिपोर्ट है, वह पत्रावली पर पेश है, जिसमें मृतका के पेट में जलन और अन्य बीमारी के तथ्य दर्ज है तथा उसका ट्रीटमेंट भी हुआ है। मृतका बच्चे नहीं होने की वजह से परेशान थी। ससुराल वाले लगातार उसका इलाज करवा रहे थे तथा उसके माता–पिता भी यह स्वीकार करते है कि मृतका के बच्चा नहीं हो रहा था और उसके पेट में जलन वगैरह रहती थी, जिसके कारण वह परेशान रहती थी। इसके अलावा मृतका की अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट भी पत्रावली पर पेश है। गवाही होने के बाद परिवादी का हल्फनामा न्यायालय में पेश किए गए, जिसमें दहेज के लिए अभियुक्तगण द्वारा प्रताड़ित नहीं किया गया, ना ही कोई मांग की गई व लीला द्वारा स्वयं आत्महत्या की गई। लेकिन यह साक्ष्य बंद होने के बाद पेश किया गया है। विद्वान अधिवक्ता का आगे तर्क है कि अभियोजन किसी भी तरह से केस को साबित करने में सफल नहीं हो पाया है। अतः अभियुक्तगण को उन पर अधिरोपित आरोप से बरी किया जाए।

18. विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त ने अपने तर्कों के समर्थन में निम्न न्यायिक दृष्टांत पेश किएः–

1. Indrajit Sureshprasad Bind and Others Vs State of Gujrat 2013 14 SCC 678
2. Purshottam Sindhi & Ors. Vs State of Rajasthan 2025 (3) RLW 2312 (Raj)
3. Sandeep Kumar & Ors. Vs State of Uttrakhand & Anr. 2021(3) RLW 2072 (SC)

19. मैंने उभय पक्ष की बहस सुनी। पत्रावली का अवलोकन किया। प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतों का ससम्मान अवलोकिन किया गया। पक्षकारान की बहस सुनने के उपरांत इस प्रकरण के निस्तारण के लिए निम्नलिखित बिंदु तय किए जाते हैंः–

(i) "आया अभियुक्तगण द्वारा दिनांक 03.10.2024 से पूर्व किसी समय ग्राम लोडियाना, थानाक्षेत्र बिजयनगर स्थित अपने घर में सामान्य आशय के अग्रसरण में परिवादी दिनेश कुमार माली की बहन व स्वयं की विधिवत् विवाहिता पत्नी/पुत्रवधु लीला देवी को बच्चे नहीं होने, घर में अशुभ होने व दहेज की मांग एवं दहेज की मांग के अनुक्रम में प्लॉट खरीदने हेतु रुपयों की मांग को लेकर मृत्यु पूर्व शारीरिक एवं मानसिक रूप से प्रताड़ित कर क्रूरतापूर्ण व्यवहार किया एवं दहेज की मांग को लेकर लीला देवी के साथ मारपीट की? "

(ii) "आया मृतका लीला की मृत्यु अप्राकृतिक कारण से शादी के सात वर्ष के भीतर हुई? "

(iii) यदि हां, तो अभियुक्तगण कितनी सजा के हकदार हैं?

20. मैंने विद्वान अधिवक्तागण की बहस में दिए गए तर्कों का अवलोकन किया। राज्य सरकार के केस में अभियोजन का यह दायित्व है कि वे अभियुक्त का अपराध संदेह से परे मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य से साबित करे। हस्तगत केस में यह निर्विवादित तथ्य है कि शादी के 07 साल के अंदर मृतका लीला देवी की मृत्यु ससुराल पक्ष में हुई। मृत्यु भी अप्राकृतिक कारणों से हुई, लेकिन अपराध धारा 80 भारतीय न्याय सहिता को परिभाषा में लाने के लिए अभियोजन को यह साबित करना आवश्यक है कि मृतका के साथ मृत्यु से पूर्व दहेज की मांग को लेकर मानसिक एवं शारीरिक क्रूरता कारित की गई। क्रूरता Subtle and form दोनों हो सकती है, जिनको मौखिक साक्ष्य से साबित किया जा सकता है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायिक दृष्टांत **State of U.P. Vs M.K. Anthony AIR 1985 Supreme Court 48** में यह सिद्धांत प्रतिपादित किया है कि गवाहों के बयान जो धारा 161 दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत रिकॉर्ड किए गए हैं अगर वह साबित है तथा विश्वसनीय एवं सुदृढ़ प्रतीत होते हैं, तो वह किसी भी केस को साबित करने के लिए पर्याप्त हैं। मृतक की मृत्यु दिनांक 02.10.2024 को हुई है, जिसके संबंध में तहरीरी रिपोर्ट परिवादी द्वारा दिनांक 03.10.2024 को थाना बिजयनगर जिला ब्यावर में पेश की, जिस पर उक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज होकर समय 12:40 बजे

कार्यवाही प्रारंभ हुई। प्रथम सूचना रिपोर्ट first hand सूचना होती है तथा वह किसी भी केस में एक महत्वपूर्ण रोल अदा करती है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायिक दृष्टांत **Sujoy Sen Vs State of West Bangal AIR 2007 Supreme Court 104** में यह सिद्धांत प्रतिपादित किया है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट एक महत्वपूर्ण सामग्री है, क्योंकि यह किसी भी अपराध की प्रथम सूचना है और इसमें इम्प्रूवमेंट के कम चांस होते हैं। प्रथम सूचना रिपोर्ट के अवलोकन से यह प्रतीत होता है कि परिवादी द्वारा यह तथ्य दर्ज करवाया गया है कि उसकी बहन मृतक को पिछले दो वर्षों से सास, ससुर व पति द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा था और बोलते थे कि "तेरे बच्चा नहीं हो रहा है, तू हमारे घर में अशुभ है, तेरे पिता ने शादी में हमें कुछ नहीं दिया, जिसको लेकर प्रताड़ित करते थे। मारने की धमकी देते थे, जो हमारी जानकारी में मेरी बहन ने कई बार कॉल करके बताया कि मेरी जान को खतरा है, यह कभी भी मार सकते हैं और कल दिनांक 02.10.2024 को मेरे बहन को गला घोंट कर मार डाला" इन तथ्यों को साबित करने के लिए परिवादी इस न्यायालय में बतौर पी.डब्ल्यू. 02 परीक्षित हुआ है, जिसने प्रथम सूचना रिपोर्ट में दर्ज तथ्यों की पुष्टि की है तथा अपने बयानों में तहरीरी रिपोर्ट प्रदर्श पी. 05 और पुलिस बयान धारा 161 दण्ड प्रक्रिया संहिता प्रदर्श डी. 01 से न्यायालय के बयानों में काफी इम्प्रूवमेंट किया है। अभियुक्त द्वारा कथन किया कि "हमसे यह बोला गया कि 07–08 लाख रुपये ले लो, पुलिस रिपोर्ट मत करवाओ, पोस्टमार्टम मत करवाओ। ससुराल वालों ने हमें धमकाया और कहा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट हम बदलवा सकते हैं।" गवाह को उसके प्रीवियस स्टेटमेंट से कंफ्रन्ट करवाने पर यह तथ्य आया कि ऐसा कोई बयान उसके द्वारा पुलिस को न तो दिया गया और ना ही उसकी तहरीरी रिपोर्ट प्रदर्श पी. 05 में यह तथ्य है। पी.डब्ल्यू. 02 के न्यायालय के बयान में इस तथ्य में भी इम्प्रूवमेंट किया गया है कि हमारी बहन जब घर आती थी, तब बोलती थी कि मुझे ससुराल वाले मार देंगे, ससुराल वाले दहेज की मांग करते हैं। फ्रिज, पैस व अन्य वस्तुओं की मांग करते हैं। यह कथन उसके पुलिस बयान प्रदर्श डी. 03 एवं तहरीरी रिपोर्ट प्रदर्श पी. 05 में मौजूद नहीं है और इस संबंध में भी न्यायालय के बयान में इम्प्रूवमेंट किया गया है। डिफेंस द्वारा कंफ्रन्ट करवाए जाने पर यह तथ्य उभरकर सामने आया कि तहरीरी रिपोर्ट में यह

तथ्य दर्ज है कि मृतका ने फोन कॉल करके बताया कि मेरी जान को इन लोगों से खतरा है, ये मुझे कभी भी मार सकते हैं और ससुराल वाले शादी में कुछ नहीं दिया इस बात को लेकर प्रताड़ित करते हैं। प्रदर्श पी. 05 एवं प्रदर्श डी. 01 में फ्रिज मांगने के तथ्य दर्ज नहीं है, दहेज मांगने का तथ्य दर्ज नहीं है। इस हद तक न्यायलय के बयानों में इम्प्रूवमेंट किया गया है। दौराने प्रतिपरीक्षण यह गवाह स्वीकार करता है कि उसकी बहन लीला की शादी मुल्जिम विनोद के साथ और उसकी स्वयं की शादी विनोद की बहन पूजा के साथ एक दिन हुई थी। शादी आटा–साटा में हुई थी और यह कहना सही है कि उसके पिताजी ने उसकी बहन लीला, प्रेम व भागुती की शादी में शादी में सारी व्यवस्था अपने स्वयं की मर्जी से अपनी हैसियत से बढ़कर पैसे खर्च कर के की थी। उसके पिता ने शादी में जो खर्चा किया था, उसका कोई भी हिसाब–खर्चा पत्रावली पर पेश नहीं किया गया है। यह कहना सही है कि पूजा के पिता ने उसे भी शादी में घर–गृहस्थी का सामान दहेज में दिया था। यह कहना गलत है कि शाम पांच बजे ग्राम लोडियाना पहुंच जाने के बाद, पुलिस द्वारा पोस्टमार्टम करवाए जाने के दौरान एवं उसके बाद अगले दिन सुबह 10:00 बजे तक उन्होंने लीला द्वारा आत्महत्या किए जाने की घटना पर कोई संदेह व्यक्त नहीं किया हो व किसी भी व्यक्ति को शिकायत नहीं की हो। लीला की गर्दन के ऊपर की तरफ खींचा हुआ निशान नहीं था, बल्कि सीधा गोलाई में फंदे का निशान था, जो गला घोंटकर मारने पर ही आ सकता है। यह सही है कि प्रदर्श डी. 01 व प्रदर्श पी. 05 में उसने यह कहीं पर भी नहीं लिखवाया कि मुल्जिमान ने पुलिस में रिपोर्ट नहीं लिखवाने का दबाव बनाया हो तथा 05–07 लाख रुपये लेने का ऑफर दिया हो। यह सही है कि प्रदर्श पी. 05 एवं प्रदर्श डी. 01 में उसकी बहन लीला को पिछले दो वर्षों में सास–ससुर व पति द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा हो, इस संबंध में कोई तारीख, महीना व साल अंकित नहीं है। यह कहना गलत है कि आज भी कोर्ट के बाहर उसने अपनी पत्नी पूजा हाजिर अदालत को यह कहा हो कि उसे अपने पुत्र मेघराज को सुपुर्द कर दो और तलाक पर हस्ताक्षर कर दो, तो मैं यह मुकदमा वापस ले लूंगा। उसकी बहन का बच्चेदानी की समस्या को लेकर इलाज चल रहा हो, तो उसकी जानकारी में नहीं है। नॉर्मली उसका पेट दर्द, पेट में जलन और बच्चेदानी में जलन का इलाज चल रहा था,

उसको कई जगह दिखाया था, लेकिन कोई गंभीर बीमारी नहीं थी। यह कहना सही है कि उसकी हैंडराईटिंग की वर्ष 2022 से 2024 तक की कोई कॉपी नहीं थी। यह कहना सही है कि उसकी बहन लीला ने शादी के तीन साल के दौरान कभी भी कोई समाज में पंचों को प्रताड़ना की कोई शिकायत नहीं की।

21. अभियोजन का एक अन्य मुख्य गवाह है, मृतका की माता है, जो न्यायालय में बतौर पी.डब्ल्यू. 16 पेश हुई है, जो न्यायालय में पक्षद्रोही घोषित हुई है, जिसके मुख्य परीक्षण में मृत्यु एवं दहेज मांगने के तथ्य दर्ज नहीं है। अभियोजन के प्रतिपरीक्षण में भी यह गवाह स्वीकार करती है कि "पूजा उसकी पुत्रवधु है, पूजा और मृतका लीला की शादी आटे–साटे में एक दिन हुई थी और हमने लीला की शादी इसी शर्त पर की थी कि आप अपनी बेटी की शादी मेरे बेटे दिनेश के साथ करो।" इस गवाह ने मृतका लीला की मेडिकल रिपोर्ट भी पेश की है, उसकी सोनोग्राफी, सी.टी. स्कैन व अन्य जांच करवाई और यह भी स्वीकार करती है कि उनके द्वारा लीला का झाड़–फूंक करवाया गया। यह गवाह दौराने प्रतिपरीक्षण डिफेंस में स्वीकार करती है कि उन्होंने लीला को तंग परेशान करने के कारण आटा–साटा में हुई शादी को समाप्त करने के लिए भी समाज की कोई मीटिंग नहीं बुलाई व बातचीत नहीं की। यह गवाह स्वीकार करती है कि लीला ससुराल में कम समय के लिए रहती थी, बच्चे नहीं हो रहे थे। गवाह यह भी कथन करती है कि उनके द्वारा दहेज में कम सामान दिया, उसकी लिस्ट उन्होंने पुलिस को नहीं दी। गवाह यह भी कथन करता है कि मृतका की भीलवाड़ा में सोनोग्राफी, सी.टी. स्कैन उसके पैरों में जलन थी, इसलिए करवाए थे। यह भी स्वीकार करता है कि पूजा जो अभियुक्त संख्या 01 विनोद की बहन और अभियुक्त संख्या 02 व 03 की पुत्री है, उसकी शादी उसके बेटे से हो रखी है। उस शादी में उसके पिता नैनूराम ने घर गृहस्थी का सामने दिया और उसने भी अपनी पुत्री लीला को घर गृहस्थी का सामान दिया था। यह गवाह यह भी स्वीकार करती है कि परिवादी दिनेश ने अभियुक्त की बहन पूजा जो दिनेश की पत्नी भी लगती है, ने 35 हजार रुपये बैंक भुगतान के जरिये और 50 हजार रुपये नकद लिए हो, तो उसे इसकी जानकारी नहीं, यह गवाह मना नहीं करती है तथा उसके संबंध में दस्तावेजी साक्ष्य मौजूद है।

22. मृतका के पिता सम्पत न्यायालय में बतौर पी.डब्ल्यू. 18 पेश हुए हैं, दौराने प्रतिपरीक्षण गवाह यह स्वीकार करता है कि उसकी बेटी की शादी व मुल्जिम विनोद की बहन के साथ आटे–साटे में हुई थी। लीला की शादी के समय 05–10 आदमी आए थे और लीला एवं उसकी बहनों की शादी मैंने मेरी मर्जी से मेरी इच्छा अनुसार खर्चे से की थी। लीला ने दसवीं की परीक्षा 2024 में दी थी, फिर कहा कि लीला ने दसवीं की परीक्षा वर्ष 2023 में दी थी। लीला की दसवीं की मार्कशीट उसने देखी थी, बाद में मार्कशीट लीला अपने ससुराल आगे बारहवीं की पढ़ाई करने के लिए ले गई थी। गवाह ने यह सही बताया कि लीला को उसके ससुराल वालों ने पढ़ाई के लिए मना नहीं किया था, क्योंकि एक साल तक बारहवीं की परीक्षा लीला ने नहीं दी थी। यह कहना गलत है कि लीला ने दसवीं की परीक्षा उसके ससुराल में रहते हुए पास की हो। गवाह को पता नहीं है कि लीला ने ससुराल में रहते हुए दुबारा दसवीं का फॉर्म भरकर उसमें पास हुई हो। गवाह ने इस बात को गलत बताया कि उसकी पुत्री लीला को गर्भाश्य व पेट की बीमारी रही हो। दो लाख रुपये लेने के लिए लीला की मृत्यु से पूर्व समाज में पंचायती नहीं की थी, अजखुद कहा कि लीला की मृत्यु के पश्चात् अभियुक्त विनोद से पैसे लेने के लिए पंचायती की थी। यह सही है कि प्रदर्श डी. 04 इकरारनामा की लिखापढ़ी के समय दिनेश ने पैंतीस हजार अपने बैंक खातें से डलवाए तथा पचास हजार रुपये नकद दिए थे। गवाह ने इस बात को सही बताया कि दूसरी पुत्रियों के ससुरजी शिवराज व गोपाल से कभी भी लीला को उसके ससुराल वालों द्वारा तंग व परेशान करने की शिकायत नहीं की थी। उसने पुलिस बयान में पुलिस को दो लाख रुपये दिनेश के द्वारा विनोद को देने की बात बता दी थी। उसके द्वारा पुलिस बयान प्रदर्श डी. 05 में क्यों दर्ज नहीं, उसे पता नहीं। गवाह को इस बात की जानकारी नहीं है कि मुकेश कुमार जैन के खेत पर लीला के सास–सास काम करते हैं या नहीं?, स्वयं कहा कि मुकेश कुमार से सिंजारा लेते होंगे। सिंजारा का मतलब खेत को बंटायत में लेते हैं। गवाह ने यह कहना सही बताया कि मुकेश कुमार जैन का फोन पूजा के फोन पर आया था। इसके बाद पूजा ने अपने पति दिनेश को घटना की जानकारी दी थी। यह सही है कि गुलाबपुरा कोर्ट में पूजा के द्वारा तलाकनामे का प्रार्थना पत्र पेश करने पर वे अपने बयान बदलेंगे, यह प्रदर्श डी. 04 में दर्ज है। यह कहना गलत

है कि उसने व उसके पुत्र दिनेश ने पूजा को प्रताड़ित करके घर से निकाला हो। यह कहना गलत है कि पूजा आज भी उसके पुत्र दिनेश के साथ रहने के लिए तैयार हो। गवाह पी.डब्ल्यू. 18 सम्पत एवं गवाह पी.डब्ल्यू. 16 कंकू देवी जो मृतका के पिता एवं माता हैं, उनके मुख्य परीक्षण में दहेज मांगने के तथ्य दर्ज नहीं हैं और पी.डब्ल्यू. 02 परिवादी के बयानों में सिर्फ फोन पर दहेज मांगने के कथन मृतका द्वारा किए गए, जो जनरल इन नेचर है स्पेसिफिक नहीं है, कोई दिनांक या साल अंकित नहीं है। यह भी स्वीकृत तथ्य है कि दोनों की शादी आटा–साटा में हुई थी। अभियुक्त संख्या 01 की बहन व अभियुक्त संख्या 02 व 03 की बेटी की शादी परिवादी के साथ तथा परिवादी की तहन लीला की शादी अभियुक्त संख्या 01 विनोद के साथ सम्पन्न हुई। शादी में 04–05 व्यक्ति शामिल हुए। इस प्रकरण के अन्य गवाह पी.डब्ल्यू. 03 लालाराम जो मृतका लीला का सगा चाचा है, यह स्वीकार करता है कि लीला के पेट में जलन की बात उसने सुनी थी और यह भी कथन किया है कि यह बात सही है कि लीला पेट की जलन से परेशान थी। लीला की शादी के बाद 03 साल तक बच्चे नहीं हुए थे तथा लीला के माता–पिता लीला पर देवता का दोष होने की बात कहते थे, इस तथ्य का भी कथन किया है कि दिनेश की पत्नी पूजा को दिनेश व उसके माता–पिता के कहने पर उसके पीहर छोड़कर आया था और अब पूजा और उसकी बच्चे को वापस नहीं ले जा रहा है। अन्य जो गवाह है वह नारायण पी.डब्ल्यू. 04 ने कथन किया है कि लीला बीमारी से तंग आ गई थी। यह गवाह पूर्व में दहेज की मांग की गई, ऐसा कोई कथन अपने मुख्य परीक्षण में नहीं करता है। पी.डब्ल्यू. 05 सांवरमल कथन करता है कि लीला की शादी आटा–साटा में हुई थी, शादी दोनों परिवारों की रजामंदी से हुई थी, कोई दबाव नहीं था।

23. पी.डब्ल्यू. 06 डॉक्टर कैलाशचंद, जो इस प्रकरण का अहम गवाह है तथा फोरेंसिक टीम का प्रभारी है और जिसने मौके पर घटना का निरीक्षण किया, वह मुख्य परीक्षण में यह कथन करता है कि छत पर लगे कड़े में मकड़ी के जाले टूटे हुए पाए गए व मकान के कमरे में स्थित कड़े फोटोग्राफ लिए गए, जो प्रदर्श पी. 20 व प्रदर्श पी. 21 से 26 है। गवाह यह स्वीकार करता है कि खिड़की तोड़कर मृतका

को सम्भाला गया था और कमरे का दरवाजा अंदर से खोला गया था। इस गवाह की साक्ष्य के अवलोकन से इसमें कोई संदेह नहीं रह जाता कि अभियुक्तगण द्वारा मृतका की जान बचाने की कोशिश की गई थी। हालांकि डिफेंस का एक वर्जन रहा है कि मृतका एक suicide note प्रदर्श पी. 10 छोड़कर गई, लेकिन इस suicide note की पुष्टि FSL रिपोर्ट प्रदर्श पी. 41 से इंशफिशियेंट मेटिरियल व हस्ताक्षर के अभाव में FSL किसी नतीजे तक नहीं पहुंची, इसलिए इसको नेगेटिव पढ़ा जाएगा और यह माना जाएगा कि कोई suicide note मौजूद नहीं है।

24. इस प्रकरण के अन्य जो मुख्य गवाह हैं, वह डॉक्टर पी.डब्ल्यू. 14 व पी.डब्ल्यू. 15 है, जिन्होंने मृत्यु के कारण के संबंध में राय दी है, जिसमें मृत्यु का कारण दम घुटना बताया है। एक अन्य गवाह मुकेश, जो एक स्वतंत्र गवाह है, इसके द्वारा मृत्यु की सूचना दी गई थी, वह इस न्यायालय में बतौर पी.डब्ल्यू. 15 पेश हुआ है। नैनूराम, विनोद व मंजू को वह बचपन से ही जानता है। ये लोग उसके गांव के ही रहने वाले है तथा उसके खेत पर साझे से खेती करते हैं। खेती में दो हिस्से उसके तथा एक हिस्सा इनका है। पूजा व लीला की शादी आटे–साटे में हुई थी। आटे–साटे का मतलब यह है कि बेटी देने व लेने की शर्त पर शादी होती है। लीला का अभियुक्तगण विनोद, नैनूराम व मंजू से कभी कोई झगड़ा होते हुए नहीं देखा था। लीला ने कभी भी अभियुक्तगण द्वारा दहेज दहेज की मांग को लेकर परेशान करने की बात उसे नहीं बताई थी। लीला उसके खेत पर काम करते समय अभियुक्तगण द्वारा उसे परेशान करने की बात गवाह को नहीं बताई थी। लीला के माता–पिता व गांव के सरपंच या किसी अन्य व्यक्ति ने उसे यह नहीं बताया था कि अभियुक्तगण उसे दहेज की मांग को लेकर तंग व परेशान करते हो। लीला पढ़ी–लिखी थी। वह कितनी कक्षा तक पढ़ी लिखी थी, इसकी उसे जानकारी नहीं है। लीला को शादी के बाद बच्चा नहीं हुआ था। पूजा के शादी के बाद बच्चा हो गया था। लीला व पूजा की शादी आटे–साटे में एक–दो दिन के अन्तराल से हुई थी। लीला बीमार जरूर रहती थी, लेकिन उसे कौनसी बीमारी थी, इसकी उसे जानकारी नहीं है। लीला को ईलाज हेतु उसका पति विनोद भीलवाडा व बिजयनगर ले जाया करता था। लीला ने फांसी लगाने से पूर्व कागज लिखा था। यह सही है कि आटे–साटे में दहेज का

लेन–देन नहीं होता है। यह सही है कि उसने विनोद व विनोद के माता–पिता के कहने पर तुरन्त पूजा व दिनेश को फोन लगाकर घटना की सूचना दी थी। अन्य महत्वपूर्ण गवाह जो इस न्यायालय में परीक्षित हुआ है, वह इस केस का अनुसंधान अधिकारी पी.डब्ल्यू. 14 सज्जन सिंह है, गवाह ने यह स्वीकार किया है कि शादी आटे–साटे में हुई थी और प्रदर्श पी. 05 तहरीरी रिपोर्ट में कोई विवरण नहीं दिया हुआ, ना ही मृतका की कोई कॉल डिटेल प्राप्त की गई तथा प्रदर्श पी. 12 में ससुराल पक्ष के आस–पड़ोस के व्यक्ति प्यार मोहम्मद, सहजाद खन, रामदेव माली, बाबू मोहम्मद के द्वारा मृतका लीला देवी को प्रताड़ित करने की कोई शिकायत नहीं की गई।

25. अपराध धारा 80(2) भारतीय न्याय संहिता के लिए यह आवश्यक है कि अभियोजन सुदृढ़ एवं ठोस साक्ष्य से यह साबित करे कि अभियुक्तगण ने मृत्यु पूर्व मृतका से दहेज की मांग की या दहेज की मांग को लेकर उसके साथ उसके पति या पति के किसी रिश्तेदार, माता–पिता ने क्रूरता की या तंग किया। इस संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायिक दृष्टांत **Hiralal Vs State of NCT Dehli AIR 2023 SC 2865** में यह सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है *"Soon before would normally imply that interval should not be much between the concerned cruelty or harrassment are the death in question. There must be existence of a proximate and live link between the effect of cruelty based on dowry demand have caused death. If alleged incident of cruelty is remote in time and has become state enough not to distrub mental equilibrium of the women concerned it would be of no consquence"* तथा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायिक दृष्टांत **Purshottam Sindhi & Ors. Vs State of Rajasthan 2025 (3) RLW 2312 (Raj)** में प्रतिपादित किया गया है कि *"दण्ड संहिता, धारा 304–ख एवं 498–क सपठित साक्ष्य अधिनियम, 1872, धारा 113–ख – दोषसिद्धि की अस्थिरियकरणता – दहेज मृत्यु – जलने से हुए घावों के कारण मौत हुई – घटना से ठीक पहले दहेज के लिए प्रताड़ना और मृतक के साथ क्रूरता ढहाने की कोई*

विनिर्दिष्ट घटना नहीं – अभियोजन भारतीय दण्ड संहिता की धारा 304–ख की तीन वांछनियताओं और भारतीय दण्ड संहिता की धारा 498–क के घटकों को साबित करने में विफल रहा। अतः इन परिस्थितियों में 1872 के अधिनियम की धारा 113–ख का अवलम्बन लेकर जिम्मेदारी को अभियुक्त पर स्थानान्तरित नहीं किया जा सकता अभिनिर्धारित – अपीलार्थीगण 'पी' और 'एस' को दोषमुक्त किया।"

26. इस न्यायिक दृष्टांत में यह भी प्रतिपादित किया तथा यह कानून का सुसंगत सिद्धांत है कि मृत्यु से पूर्व मृतका को दहेज के लिए तंग व परेशान किया गया था। अगर यह तथ्य साबित नहीं है, तो धारा 113 बी साक्ष्य अधिनियम की उपधारणा नहीं ली जा सकती।

27. **धारा 113 बी भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872** में यह प्रावधान किया गया है कि "दहेज मृत्यु के बारे में उपधारणा– जब प्रश्न यह है कि किसी व्यक्ति ने किसी स्त्री की दहेज मृत्यु की है और यह दर्शित किया जाता है कि मृत्यु के कुछ पूर्व ऐसे व्यक्ति ने दहेज की किसी मांग के लिए या उसके संबंध में उस स्त्री के साथ क्रूरता की थी या उसको तंग किया था, तो न्यायालय यह उपधारणा करेगा कि ऐसे व्यक्ति ने दहेज मृत्यु कारित की थी।" **भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 की धारा 118** में यह प्रावधान किया गया है कि "दहेज मृत्यु के बारे में उपधारणा– जब प्रश्न यह है कि किसी व्यक्ति ने किसी महिला की दहेज मृत्यु की है और यह दर्शित किया जाता है कि मृत्यु के तुरंत पहले ऐसे व्यक्ति ने दहेज की किसी मांग के लिए या उसके संबंध में उस महिला के साथ क्रूरता की थी या उसको तंग किया था, तो न्यायालय यह उपधारणा करेगा कि ऐसे व्यक्ति ने दहेज मृत्यु कारित की थी।" लेकिन मृतका की मृत्यु से पूर्व परिवादी पक्ष से अभियुक्तगण ने किसी भी प्रकार से दहेज की मांग की हो, ऐसी सुदृढ़ साक्ष्य अभियोजन पेश करने में असफल रहा है। अतः धारा 113 बी साक्ष्य अधिनियम की उपधारणा नहीं ली जा सकती है। ऐसा ही निर्णय माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने Shoor Singh Vs State of Uttrakhand 2024 Supreme Court 713 में जारी किया है।

28. इस न्यायालय की साक्ष्य समाप्त होने के उपरांत परिवादी पक्ष ने दो हल्फनामें इस न्यायालय में पेश किए कि उनके द्वारा गलती से दहेज का मुकदमा दर्ज करवा दिया

था। उनसे अभियुक्त ने कभी दहेज की मांग नहीं की। हालांकि इस दस्तावेज को प्रदर्शित नहीं करवाया गया है और पत्रावली का हिस्सा नहीं है, लेकिन इसकी persasive value है, क्योंकि परिवादी पक्ष ने ऐसा stand पूर्व में प्रदर्श डी. 04 में लिया गया है। न्यायालय के समक्ष लेसमात्र भी यह साक्ष्य नहीं है कि अभियुक्तगण ने मृत्यु से पूर्व, यहां तक कि शादी से पूर्व मृतका से या उसके परिवार से दहेज की कोई मांग की हो। जहां तक मृत्यु का संबंध है, वह अप्राकृतिक है, प्राकृतिक मृत्यु नहीं है। मृत्यु दम घुटने से कारित हुई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्रदर्श पी. 32 के अनुसार मृतका के right & left lung में frothing नोट की गई है, जो यह दर्शाती है कि मृत्यु सुसायडल है। मृतका के कानों से, नाक या मुंह से कोई खून नहीं आना पाया गया है, बल्कि froth पाया गया है। larynx का fracture नहीं है, सिर्फ froth पाया गया है, सिर्फ hyoid bone का fracture जो गले में फंदे पर लटकने से आता है। अतः यह मेडिकल साक्ष्य भी यही दर्शित करता है कि मृतका द्वारा स्वयं ने आत्महत्या की है तथा मृत्यु स्ट्रेंगुलेशन या होमीसाइड नहीं है। इस राय के अनुसार एवं जो अन्य साक्ष्य पत्रावली पर है, जिसमें FSL के बयान भी है, आत्महत्या प्रतीत होती है और पत्रावली पर मृत्यु पूर्व दहेज मांगने की कोई सुदृढ़ एवं विश्वसनीय साक्ष्य नहीं है, बल्कि अभियोजन का केस संदेह से भरा प्रतीत होता है।

29. उपरोक्त सभी साक्ष्य का अवलोकन करने और न्यायिक दृष्टांत का अवलोकन करने के उपरांत मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि अभियोजन यह साबित करने में सफल नहीं हो पाया है कि मृतका को दहेज की मांग कर या ताने देकर अथवा बच्चे नहीं होने के ताने देकर कोई मानसिक, शारीरिक subtle or form किसी भी तरह की मानसिक या शारीरिक क्रूरता कारित की गई हो। अतः अपराध धारा 85(2) सपठित धारा 3(5) एवं धारा 80(2) भारतीय न्याय संहिता का अपराध प्रमाणित नहीं पाया जाता है। परिणामस्वरूप सारभूत एवं विश्वसनीय साक्ष्य पेश करने में अभियोजन असफल रहा है। अतः उपरोक्त विवेचन से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि अभियोजन अभियुक्तगण के विरुद्ध केस को Beyond the Shadow of reasonable doubt साबित करने में सक्षम नहीं हो पाया है। तदनुसार

अभियुक्तगण को उसके ऊपर लगाए गए आरोप से बरी किया जाना न्यायोचित है।

।। <u>आदेश</u> ।।

30. अतः अभियुक्तगण (1) विनोद माली पुत्र नानूराम, उम्र 22 वर्ष, (2) नानूराम माली पुत्र रतनलाल, उम्र 45 वर्ष, (3) श्रीमती मंजू देवी पत्नी नानूराम, उम्र 40 वर्ष, निवासीगण लोडियाना, पुलिस थाना बिजयनगर, जिला ब्यावर को भारतीय न्याय संहिता की धारा 80(2), 85 सपठित धारा 3(5) के तहत दण्डनीय अपराधों से संदेह का लाभ दिया जाकर बरी किया जाता है। अभियुक्तगण के नियमित पेशी बाबत् जमानत मुचलके निरस्त किए जाते हैं।

31. अभियुक्तगण के न्यायालय में उपस्थिति बाबत् नियमित जमानत मुचलके धारा 481 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 के तहत आगामी 06 माह के लिए प्रभावी किए जाते हैं।

32. प्रकरण में जब्तशुदा आर्टिकल्स को बाद गुजरने मियाद अपील/रिवीजन नियमानुसार नष्ट किया जाए और अपील/रिवीजन होने की सूरत में माननीय अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित आदेशानुसार निस्तारण किया जाए।

(हारून)
जिला एवं सेशन न्यायाधीश,
ब्यावर।

33. निर्णय आज दिनांक **07.04.2026** को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हारून)
जिला एवं सेशन न्यायाधीश,
ब्यावर।

PAWAN
Steno Grade III
"Authenticated Document"
Digitally signed by PAWAN
Date: 2026.04.07 16:55:55 +0530